



मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY : UDAIPUR

क्रमांक: /85 / सामान्य / मोलासुवि / 2024 / 2141

दिनांक : 16.07.2024

आदेश

प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा ग्रुप-4 विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक प.18 (10) शिक्षा-4/2020 पार्ट-00485 जयपुर दिनांक 06.04.2024 की अनुपालना में माननीय कुलपति महोदया के निर्देशानुसार महाविद्यालयों की स्नातक कक्षा की प्रवेश नीति में 02 वर्ष के गैप के कारण विद्यार्थियों को प्रवेश से वंचित किये जाने के प्रावधान को शैक्षणिक सत्र 2024-25 से हटाया जाता है एवं प्रवेश से सम्बन्धित शेष नियम विश्वविद्यालय विवरणिका के अनुसार यथावत रहेंगे।


कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा ग्रुप-4 विभाग, जयपुर।
2. समस्त अधिष्ठाता, पी.जी. स्नातकोत्तर, छात्र कल्याण, विधि महाविद्यालय,, विज्ञान महाविद्यालय, वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययन,, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय, मोलासुवि, उदयपुर।
3. समन्वयक, विश्वविद्यालय कन्या महाविद्यालय, ग्राम-बिलौता, राजसमन्द।
4. मानद निदेशक, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, मोलासुवि, उदयपुर।
5. निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन संकाय, कम्प्यूटर सेन्टर, मोलासुवि, उदयपुर।
6. विभागाध्यक्ष/पाठ्यक्रम निदेशकमोलासुवि, उदयपुर।
7. प्रो. हेमन्त द्विवेदी, संयोजक, प्रवेश 2024-25, मोलासुवि, उदयपुर।
8. वित्त नियंत्रक महोदया, मोलासुवि, उदयपुर।
9. परीक्षा नियंत्रक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/उप-कुलसचिव, परीक्षा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
10. वि.वि. अभियन्ता/सचिव, विश्वविद्यालय क्रीड़ा मण्डल,, मोलासुवि, उदयपुर।
11. मिडिया प्रभारी, मोलासुवि, उदयपुर को लेख है कि उक्त आदेश को समाचार पत्रों में प्रकाशित करावें।
12. बैठक विभाग, मोलासुवि को लेख है कि उक्त आदेश को आगामी अकादमिक परिषद की बैठक में प्रस्तुत करावें।
13. निजी सचिव कुलपति महोदय,/अति निजी सचिव-कुलसचिव महोदय/अ.नि.स. वित्त नियंत्रक, मोलासुवि, उदयपुर।
14. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव